

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिधत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
केरपुर	21	पेमा पुत्र किशना जाति जाट सा. देह खातेदार	111	0.0100	पेमाराज अकिबानाराज जाति जाट सा. देह खातेदार	111	0.0100
			112	0.0900		112	0.0900
			113	10.2700		113	10.2700

शिवराम शर्मा
शिवराम शर्मा
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :- 561/26.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिवराम शर्मा
शिवराम शर्मा
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
DGKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर